तारीख हुक्म	अपील/डिक्री/टीए/1853/2006/धौलपुर रमेश पुत्र श्यामलाल बनाम छीतरिया(मृतक)जरिए वारिसान बेबी व अन्य बाबू(मृतक)जरिए वारिसान मु0 भगवानी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री रवि डांगी, सदस्य
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित–
श्री दूनीचंद ढिढांरिया, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री मूलचन्द शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स 1 के वारिसान की ओर से।
श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स 2 के वारिसान की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27–1–2022

अपीलार्थीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–2–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने का प्रार्थनापत्र दिनांक 12–11–2021एवं 7–12–2021 को प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त राजीनामें के अनुसार अपील को निर्णित किया जावे। उनका यह भी कथन है कि अपील में दोनों पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा दिनांक 12–11–2021 एवं 7–12–2021 को हो गया है तथा प्रार्थनापत्र पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर भी हैं एवं उनकी पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गयी है। अतः राजीनामें के अनुसार वे दावा वापस लेना चाहते हैं ।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण भी प्रार्थनापत्र में वर्णित

तारीख हुक्म	अपील/डिक्री/टीए/1853/2006/धौलपुर रमेश पुत्र श्यामलाल बनाम छीतरिया(मृतक)जरिए वारिसान बेबी व अन्य बाबू(मृतक)जरिए वारिसान मु0 भगवानी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथ्यों से सहमत है।

हमने उभय पक्षों के अधिवक्तागण की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र राजीनामा एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने के कथन एवं आदेश 23 नियम 1,2 व 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए हम अपील के गुणावगुणों पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर, मूल प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर को राजीनामें की वैधानिकता की जांच एवं नियमानुसार तस्दीक कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

परिणामतः भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–2–2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–3–2003 निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 7–12–2021 एवं 12–11–2021 को नियमानुसार तस्दीक कर राजीनामा के विधिसम्मत होने की जांच कर पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान को निर्देश दिए जाते हैं कि वे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर के समक्ष दिनांक 24–2–2022 को उपस्थित हों ।

तारीख हुक्म	अपील/डिक्री/टीए/1853/2006/धौलपुर रमेश पुत्र श्यामलाल बनाम छीतरिया(मृतक)जरिए वारिसान बेबी व अन्य बाबू(मृतक)जरिए वारिसान मु0 भगवानी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्याय शाखा प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि वे राजीनामें दिनांक 7-12-2021 व दिनांक 12-11-2021 की मूल प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न करे तथा उसकी एक प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु राजस्व मण्डल की अपील पत्रावली में संलग्न की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख नियमानुसार निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0श्रवणकुमार बुनकर) **सदस्य** (रवि डांगी) **सदस्य**	